बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)।

(जिला बाल संरक्षण इकाई)

सचिव, समाज कल्याण, बिहार, पटना के पत्रांक–749, दिनांक–24.04.2026 से प्राप्त निदेश के आलोक में पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं पॉक्सो नियम 2020 के अंतर्गत पॉक्सो पीड़ितो के सहयोग हेतु सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण के लिए योग्य उम्मीदवारो से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है–

(विज्ञापन संख्या– 01/2026)

Post	Category wise breakup	Age Limit as on 01-08-2026	Essential Qualification	Experience	Honorarium Per Case
सहायक व्यक्ति (SUPPORT PERSON)	**Total Requirement –25** **UR – 9** **(Male – 5, Female – 4)** **BC/EBC – 5** (Male – 3, Female – 2) **MINORITY – 5** (Male – 3, Female – 2) **SC/ST – 6** (Male – 4, Female – 2)	न्यूनतम- 30 वर्ष अधिकतम- 65 वर्ष	सामाजिक कार्य (MSW)/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर **या** बाल अधिकार/परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ–साथ तीन वर्ष का अनुभव।	बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/बाल मनोविज्ञान/परामर्शदाता/समाजाास्त्र/मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम–से–कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार/ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/ किशोर न्याय बोर्ड/पॉक्सो न्यायालय अथवा चाईल्ड लाईन/चाईल्ड हेल्पलाईन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	9000/- प्रति वाद (पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय सहित जो विहित प्रक्रिया के माध्यम से देय होगा)

1. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में संपूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक–**26.09.2026 के शाम 05:00 बजे** तक **सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, समाहरणालय परिसर स्थित कोषागार कार्यालय के बगल में भभुआ, कैमूर (बिहार), पिन–821101** के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते है। उपरोक्त समय–सीमा के पश्चात् तथा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही होंगे।
2. **कैमूर जिला के मूल निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगें।** जिन्हें नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
3. आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरो में **"सहायक व्यक्ति के Empanelment हेतु आवेदन पत्र एवं विज्ञापन संख्या"** का उल्लेख अवश्य करेंगे। विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं करने पर आवेदन रदद् किया जा सकता है।
4. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय ज्ञापांक एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
5. आवेदक के विरूद्ध भारत में कहीं भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो तथा वह कभी भी नैतिक दुराचार का दोषी नही रहा हो साथ ही बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित नहीं किए जाने अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने के आशय का शपथ–पत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।
6. साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा।
7. विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विहित प्रारूप जिला के आधिकारिक वेबसाईट https://kaimur.nic.in पर देखा जा सकता है। मेधा सूची, साक्षात्कार से संबंधित सूचना एवं अनुशंसित व्यक्तियों की सूची इत्यादि सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रकाशन समय–समय पर उक्त वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
8. **चयन प्रक्रियाः–** सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत् है–

   I. **मूल्यांकनः–** स्नातक के लिए 50 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 20 अंक एवं P.hd. के लिए 10 अंक **कुल– 80 अंक**
   साक्षात्कार के लिए अधिकतम– 20 अंक

   II. शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारो को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय) की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
9. **सूचीबद्धता की अवधिः–** सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति का कार्य अवधि अधिकतम 02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (दोनो में से जो पहले हो) के लिए होगा।
10. **अन्य शर्तेः–**

    I. इस पैनल के आधार पर सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही अगली सूचीबद्धता के लिए पुनः नये सिरे से प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा।

    II. इस विज्ञापन को किसी भी समय रदद करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

27.08.2026

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
कैमूर (भभुआ)।